Laboratory & Sample Analysis
6

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2011/श्रावण 10, 1933
No. 157] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2011/SRAVANA 10, 1933

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
LIBRARY AND RESOURCE CENTRE

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

फा.सं. 2-15015/30/2010 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (थ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, जहां तक वे खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियमावली, 2011 से संबंधित हैं, बनाने का प्रस्ताव करता है, और;

विनियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र के असाधारण भाग 3, खण्ड 4 में तारीख 20 अक्तूबर, 2010 को पृष्ठ 1 से 776 में समेकित रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से 30 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां 21 अक्तूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्धारित अवधि के अंदर पणधारियों से आक्षेप और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।

इसलिए अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण)

विनियम, 2011

अध्याय 1

साधारण

भाग 1.1 : नाम और प्रारंभ

विनियम 1.1.1 : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 है।

विनियम 1.1.2 : ये विनियम 5 अगस्त, 2011 को या इसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।

1.2 : परिभाषाएं-

1.2.1 इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

1. ''अधिसूचित प्रयोगशाला'' से अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं में से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

2. ''निर्देश प्रयोगशाला'' से अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा खाद्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित और/या मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है।

अध्याय 2

प्रयोगशाला और नमूनों का विश्लेषण

2.1 : आयात के लिए अधिसूचित प्रयोगशालाएं

2.1.1. किसी आयातीत पदार्थ का नमूना विश्लेषण के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित उन अधिसूचित प्रयोगशालाओं या खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य प्रयोगशाला के विश्लेषक को भेजा जाएगा, जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता है जिसमें नमूना लिया गया था ।

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	स्थानीय क्षेत्र
1	2	3
1.	केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता	निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों/ राज्यों के सभी समुद्री पत्तन/ विमान पत्तन/ अंतदेशीय कंटेनर डिपो - (i) अंडमान और निकोबार द्वीप (ii) आंध्र प्रदेश (iii) अरुणाचल प्रदेश (iv) असम, (v) बिहार (vi) मणिपुर (vii) मेघालय (viii) मिजोरम (ix) नागालैंड (x) उड़ीसा (xi) सिक्किम (xii) त्रिपुरा (xiii) पश्चिम बंगाल और (xiv) झारखंड
		निम्नलिखित राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमा- (i) अरुणाचल प्रदेश (ii) असम (iii) बिहार (iv) मणिपुर (v) मेघालय (vi) मिजोरम (vii) नागालैंड (viii) सिक्किम (ix) त्रिपुरा (x) पश्चिम बंगाल
2.	केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद	निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों / राज्यों के सभी विमान पत्तन/अंतरदेशीय कंटेनर डिपो - (i) चंडीगढ़, (ii) दिल्ली (iii) हरियाणा (iv) हिमाचल प्रदेश (v) जम्मू और कश्मीर (vi) मध्य प्रदेश (vii) पंजाब (viii) राजस्थान (ix) उत्तर प्रदेश (x) छत्तीसगढ़ (xi) उत्तराखंड
		निम्नलिखित राज्यों की सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं - (i) हिमाचल प्रदेश (ii) राजस्थान (iii) जम्मू और कश्मीर (iv) पंजाब (v) उत्तर प्रदेश और (vi) उत्तराखंड

1	2	3
3.	केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर	निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों / राज्यों में विमान पत्तन / समुद्री पत्तन / अंतरदेशीय कंटेनर डिपो - (i) कर्नाटक (ii) केरल (iii) लक्षद्वीप (iv) पांडिचेरी और (v) तमिलनाडु
4.	केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पुणे	निम्नलिखित संघ राज्यक्षेत्रों / राज्यों के सभी विमान पत्तन/अंतरदेशीय कंटेनर डिपो - (i) दादर एवं नगर हवेली, (ii) दमन और द्वीव (iii) गोवा, (iv) गुजरात और (v) महाराष्ट्र गुजरात राज्य सभी अंतराष्ट्रीय सीमाएं

2.2 निर्देश प्रयोगशाला

2.2.1 : कृत्य - अधिनियम द्वारा प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्यों के अतिरिक्त प्रयोगशाला निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्-

(1) केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भेजे गए खाद्य नमूनों का विश्लेषण और संबंधित प्राधिकारियों को विश्लेषण प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना;

(2) किसी खाद्य पदार्थ के मानक नियत करने के प्रयोजन के लिए अन्वेषण;

(3) विभिन्न राज्यों में लोक विश्लेषकों की प्रयोगशालाओं और ऐसी अन्य प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के सहयोग से, जिनको केंद्रीय सरकार इस निमित्त विश्लेषण की रीति के मानकीकरण के लिए अनुमोदित करे, अन्वेषण;

(4) यह सुनिश्चित करना कि प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों के हथालन/परीक्षण के लिए अधिकथित किए गए वैज्ञानिक नयाचार (प्राटॉकाल) का पालन किया जाए;

(5) प्रयोगशाला के प्रचालन में परिशुद्धता, विश्वसनीयता और भरोसे के उच्च स्तरमानों को बनाए रखना तथा प्रत्यायन और विश्वसनीयता के अपेक्षित स्तरों की प्राप्ति और बनाए रखना;

(6) यह सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि अधिकथित करना कि प्रयोगशाला के क्रामिक उच्च वृत्तिक स्तरमानों और अनुशासन का पालन करें य

(7) अन्य ऐसी शर्तें, जो प्राधिकारी द्वारा रेफरल प्रयोगशालाओं के लिए अधिकथित की जाएं;

(8) खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट राज्यों में खाद्य विश्लेषकों, प्रयोगशाला के क्रामिकों के लिए वृत्तिक प्रशिक्षण, कर्मशालाओं और सेमीनारों के आयोजन द्वारा कार्य क्षमता को बढ़ाना ।

2.2.2 : निर्देश प्रयोगशाला के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/ स्थानीय क्षेत्र

1. निम्न सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला, उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों की बाबत अधिनियम या इन विनियमों द्वारा उसे सौंपे गए कृत्य करेगी ।

सारणी-1

	निर्देश प्रयोगशाला का नाम	स्थानीय क्षेत्र/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र
1.	निर्देश खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता- 7100016	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र
2.	निर्देश खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर - 570013	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र ।
3.	निर्देश खाद्य प्रयोगशाला, पुणे- 411001	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु ।
4.	निर्देश खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद	बिहार, गोवा, झारखंड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र ।

2. निर्देश खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दिया जाने वाला विश्लेषण प्रमाणपत्र प्ररूप 'ग', के अनुसार होगा ।